

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:-प. 5(2)कार्मिक/क-2/91

जयपुर, दिनांक:- 26.09.2011

शुद्धि पत्र

विषय:- राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.4.2011 जो दिनांक 01.4.2011 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग-4 (ग) (1) में जी. एस. आर. 5 के अधीन पृष्ठ संख्या 3 (1) से 3 (16) पर प्रकाशित हुई है, में निम्न शुद्धियाँ की जायेगी:-

1. कम संख्या 2 में शीर्षक "नियम 17 का प्रतिस्थापन" पृष्ठ 3(1) के अन्तर्गत-
 - (i) नियम 17 के उप नियम (1) की चौथी पंक्ति में आई अभिव्यक्ति होगी।" के स्थान पर अभिव्यक्ति होगी। पढ़ी जाये।
 - (ii) नियम 17 के उप नियम (2) की तीसरी पंक्ति में आई अभिव्यक्ति होगी। के स्थान पर अभिव्यक्ति होगी।" पढ़ी जावे।
2. कम संख्या-12 में शीर्षक "अनुसूची- I का संशोधन" पृष्ठ 3 (4) के अन्तर्गत-
 - (i) क्लॉज (i) के पैरा (1) में आई अभिव्यक्ति "सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में एम.सी.ए./बी.ई./" के स्थान पर "एम.सी.ए. अथवा सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बी.ई./" पढ़ी जावे।
 - (ii) क्लॉज (i) के पैरा (2) की तीसरी पंक्ति में आया शब्द "डिजाइनिंग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रबन्धन, सिस्टम डिजाइनिंग," पढ़ी जावे।
 - (iii) क्लॉज (ii) पृष्ठ-3 (5) में आई अनुसूची के कॉलम 5 के प्रथम पैरा में आई अभिव्यक्ति "सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में एम.सी.ए./बी.ई./बी.टेक. के स्थान पर अभिव्यक्ति "एम.सी.ए. अथवा सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बी.ई./बी.टेक./एम.एससी. पढ़ी जावे।

इसी उक्त अनुसूची के कॉलम 7 में आई अभिव्यक्ति "5 वर्ष अनुभव" के स्थान पर अभिव्यक्ति "5 वर्ष का अनुभव" पढ़ी जावे।
3. कम संख्या 13 में शीर्षक "अनुसूची II के संशोधन" पृष्ठ 3(6) के अन्तर्गत क्लॉज (iii) के पैरा (1) में आई अभिव्यक्ति "संसूचना या सूचना" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संचार या सूचना" पढ़ी जावे।
4. कम संख्या 14 शीर्षक "अनुसूची III का संशोधन" के अन्तर्गत प्रश्न पत्र H शीर्षक "साफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट" [पृष्ठ 3(9)] के अन्तर्गत 7वीं एवं 8वीं पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "रिस्क आईडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, रिस्क आईडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन," के स्थान पर अभिव्यक्ति "रिस्क आईडेंटिफिकेशन प्रोजेक्शन," पढ़ी जावे।
5. क.सं. 15 शीर्षक "अनुसूची-IV का संशोधन" के अन्तर्गत [पृष्ठ 3(10)]-
 - (i) "अनुसूची-IV का संशोधन" के अन्तर्गत दूसरी पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "अनुसूची III" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुसूची-IV" पढ़ी जावे।

50/2011

- (ii) "अनुसूची-IV के प्रश्न पत्र-I के अन्तर्गत [पृष्ठ 3(11)] तीसरी पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "लोजिकल डाटा बेस," के स्थान पर अभिव्यक्ति "लोजिकल डाटा बेसेज," पढ़ी जावे। एवं 9वीं पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "हैड फाइल" के स्थान पर अभिव्यक्ति "हैड फाइल्स" पढ़ी जावे।

6. कम संख्या-16 शीर्षक "अनुसूची-V का संशोधन" के अन्तर्गत प्रश्न पत्र II. सूचना प्रौद्योगिकी कॉन्सेप्ट [पृष्ठ 3(14)] शीर्षक के अन्तर्गत 9वीं पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "शैल प्रोग्रामिंग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शैल प्रोग्रामिंग," पढ़ी जावे एवं 26वीं पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "कन्डिशनल्स एण्ड लूप्स एरेस," के स्थान पर अभिव्यक्ति "कन्डिशनल्स एण्ड लूप्स एरेस," पढ़ी जावे।

आज्ञा से,



(नलिनी कठोटिया)
शासन उप सचिव

50/2011